मुद्रकः- श्रीगणेश

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली,उदयपुर

प्रार्थी ....तखतसिंह........ विपक्षी ....शेरसिंह............

किस्म मुकद्दमा ....वाद........ पत्रावली संख्या ....155/17.... सन् ....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर प... सूचनाएं जा...
	8/9/25 पत्रावली आज पेश हुई। दिनांक 5/9/25 से 7/9/25 तक अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिस कायमी के लिये मौका चाहते है। अत: अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 29/10/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
	19/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 27/10/25 को पेश हो।	
	27/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। वादी को वारिस कायमी हेतु लगभग 6 वर्ष से अधिक का समय दिया गया था परन्तु वादी द्वारा अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वा[illegible] [illegible]स्थित रहे हैं। अत: अधिवक्ता वादी मय स्वयं [illegible]दी [illegible]पस्थित रहने पर वादी का वाद [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प[illegible] [illegible] से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली ... (राज.)

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested